

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या - 750/2012/अजमेर.

वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत, अजमेर.

.....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स श्री सीमेंट लिमिटेड, बांगड़नगर, ब्यावर.

.....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ

श्री के. एल. जैन, सदस्य

श्री ओमकार सिंह आशिया, सदस्य

उपस्थित ::

श्री जमील जई, उप-राजकीय अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री एम. एल. पाटौदी, अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 07/08/2018

निर्णय

1. अपीलार्थी राजस्व द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, अजमेर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या 197/10-11/वैट/ब्यावर में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वैट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 82 के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 21.11.2011 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत, अजमेर (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि वर्ष 2007-08 के लिये वैट अधिनियम की धारा 33 के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 25.10.2010 के विरुद्ध प्रस्तुत अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया है।

2. दोनों पक्षों की बहस सुनी गई।

3. राजस्व की ओर से प्रस्तुत अपील आधार में यह कथन किया गया है कि प्रत्यर्थी कम्पनी द्वारा कुछ ऐसे पूंजीगत माल का क्रय किया गया था जिस पर आई.टी.सी का क्लेम दिया जाना विधिसम्मत नहीं था, परन्तु अपीलीय अधिकारी द्वारा अविधिक रूप से अपने निर्णय में पोलीथीन बैग, सबमर्सिबल पम्प, हैंड ग्लव्स, कलर टेलीविजन, टायर, इलेक्ट्रिकल लाईट फिटिंग, सीएफएल, हेलोजन लैम्प, ड्राई बेटरी, मोटर पार्ट्स, एल.पी.जी. गैस, एकजोस्ट फैन, वुडन प्लेक्स की खरीद पर कैपिटल गुड्स के रूप में रूपये 1295265/- के आई.टी.सी को स्वीकृत किया गया है, जो उचित नहीं है क्योंकि ये वस्तुयें निर्माण कार्यों में प्लांट एवं मशीनरी के रूप में प्रयुक्त नहीं होती हैं, अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा इन वस्तुओं पर आई.टी.सी क्लेम को अस्वीकार करने में कोई त्रुटि नहीं की गयी थी, अतः इस बिन्दु पर अपीलीय आदेश को निरस्त करने पर बल दिया।

31




लगातार.....2

4. प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि जो वस्तुएँ कर निर्धारण अधिकारी ने प्लांट एवं मशीनरी के रूप में उपयोगी नहीं होने का तर्क दिया था, वह अविधिक है एवं तथ्यों के विपरित है, क्योंकि ऊपर वर्णित वस्तुएँ व्यवहारी के निर्माण कार्यों में प्लांट एवं मशीनरी के रूप में ही कार्य में ली जाती हैं। इस सम्बन्ध में प्रत्यर्थी कम्पनी के मामले में ही कर बोर्ड द्वारा अपील संख्या 141/2012/अजमेर में पारित किये गये निर्णय दिनांक 14.01.2017 एवं अपील संख्या 467/2014/अजमेर निर्णय दिनांक 07.11.2017 में ही इन सभी वस्तुओं पर आई.टी.सी दिये जाने का निर्णय किया जा चुका है अतः उक्त निर्णयों के अधीन राजस्व की अपील खारिज किये जाने योग्य बताई।


5. दोनों पक्षों की बहस सुनने एवं इस कम्पनी के पूर्व वर्षों के कर निर्धारण आदेश के सम्बन्ध में पारित कर बोर्ड के ऊपर वर्णित आदेशों के आलोक में निर्णय किया जाता है कि अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश में सभी वस्तुओं पर आई.टी.सी को स्वीकार करने का आदेश दिया है जबकि कर बोर्ड के आदेशों में टायर एवं ट्यूब को कैपिटल गुड्स की श्रेणी में नहीं माने जाने का निर्णय किया गया है। ऐसी स्थिति में टायर एण्ड ट्यूब पर अपीलीय अधिकारी द्वारा दिये गये लाभ को निरस्त किया जाता है एवं इस सीमा तक राजस्व की अपील स्वीकार करते हुए प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते हैं कि वे टायर एवं ट्यूब से सम्बन्धित आई.टी.सी. क्लेम को रिवर्स करते हुए अवशेष आइटम पर अपीलीय अधिकारी द्वारा स्वीकृत आई.टी.सी का प्रभाव प्रदान करें।

6. फलतः राजस्व की अपील उक्तानुसार आंशिक रूप में स्वीकार की जाती है।

7. निर्णय सुनाया गया।



(ओमकार सिंह आशिया)
सदस्य



(के. एल. जैन)
सदस्य